

नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14. प्रस्तावित मुप हाउसिंग योजना के निर्माण के सन्दर्भ में आर्बटी संस्था को उत्तर अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010 तथा इसके अधीन जारी निर्देशों एवं सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
15. ब्रोशर, पट्टा प्रलेख, उप पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
16. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रसन्नगत क्षेत्र की हाइड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावरेटिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्रावधानों के अन्तर्गत करना होगा।
17. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-गर्भ जल दोहन, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
18. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुल्का, अग्निहमन सुल्का, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सैफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अवोस्टि आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
20. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्रावधानों, इस्में समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकॉन्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो भवन मानचित्र स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नौएडा महायोजना 2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नौएडा भवन विनियमावली - 2010 (यथा संशोधित एवं प्रमाणी) में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग तथा उसके स्क्रुटिंग यूज में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
22. पंजीकरण एवं अबंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नौएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
23. पंजीकरण एवं अबंटन पुस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आर्बटी को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
24. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधाये तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी0आई0एस0/आई0एस0 के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुसार किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीनगत में लाया जायेगा।
25. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में हारन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं दैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संग्रहण, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उल्खन, कुशारोपन/लेन्ड स्केपिंग एवं तात्कालिक शान्ति, लोपेज डिवीजल एवं सॉलिट वेरड

संशोधित एवं प्रमाणी
28 सम्पूर्ण परिसर
अवस्थापना
परिषद

er Coa
the
novel
ign.
CON